

॥ आदेश ॥

वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या-7566, दिनांक-14.07.2010 एवं वित्त विभागीय पत्रांक-4862, दिनांक-29.04.2025 के आलोक में कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार संवर्ग के कर्मियों को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना-2010" के प्रावधानों के तहत ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति के संबंध में दिनांक-16.12.2025 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति निम्नवत् रूप से दी जाती है:-

क्र० सं०	कर्मि का नाम/पदनाम	जन्म /सेवानिवृत्ति /मृत्यु की तिथि	नियमित नियुक्ति की तिथि /सेवा संपुष्टि की तिथि	पदस्थापित कार्यालय/सेवानिवृत्त/मृत हुए हो. का नाम)	वित्तीय उन्नयन की अनुमान्यता, देय तिथि एवं अनुमान्य वेतनमान (पे बैंड/ग्रेड पे/ वेतन स्तर)
1	2	3	4	5	6
1	स्व० इफ्तखार अहमद, लिपिक (स्तर-5)	15.03.1968 / 05.01.2020	30.12.1996 / 01.04.2004	दीघा चि०	दि०-30.12.2016 से द्वितीय एम.ए.सी.पी. वेतन स्तर-06 में
2	श्रीमती अंजनी सिन्हा, लिपिक, सेवानिवृत्त (स्तर-5)	02.01.1958 / 31.01.2018	30.12.1996 / 01.04.2004	कटिहार चि०	दि०-30.12.2008 से प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड-पे-2800 एवं दि०-30.12.2016 से द्वितीय एम.ए.सी.पी. वेतन स्तर-06 में
3	श्री नकुल कुमार, लिपिक, सेवानिवृत्त (स्तर-5)	25.01.1958 / 31.01.2018	19.01.1978 / 01.04.2004	कटिहार चि०	दि०-12.02.2005 से प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड-पे-2800 एवं दि०-15.07.2013 से द्वितीय एम.ए.सी.पी. वेतन स्तर-06 में
4	श्री विपिन कुमार, कार्यालय अधीक्षक, सेवानिवृत्त (स्तर-7)	10.10.1965 / 31.10.2025	05.09.1991 / 01.04.2004	क्षेत्राधिकारी कार्यालय मुजफ्फरपुर	दि०-05.09.2013 से प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड-पे-2800 एवं दि०-27.12.2019 से द्वितीय एम.ए.सी.पी. वेतन स्तर-06 में
5	मो० इम्तेयाज अहमद, लिपिक, सेवानिवृत्त (स्तर-3)	08.01.1965 / 31.01.2025	04.09.1992 / 01.04.2004	कटिहार चि०	दि०-04.09.2004 से प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड-पे-2800 में

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार।

(मनीष कुमार)
अवर सचिव,*मनीष कुमार*

5. प्रस्ताव में सहमत प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

गयी राशि की वसूली देय पावनामा से कर ली जायेगी।
वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली/दी जायेगी तथा स्वचालित की स्थिति में अधिक भुगतान की को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें अधिक/कम भुगतान की गई राशि की रहने पर संबंधित कर्मों को प्रदान की गई वित्तीय उच्ययन का लाभ से संबंधित इस आदेश जाने अथवा प्रदत्त उक्त एंसीपी/एमएंसीपी की देय तिथि को आरोप दण्ड प्रमाणी प्रकार की रूटि (यथा देय तिथि/वेतनमान/ग्रेड पे/वेतन स्तर आदि के संबंध में) पाये उपरोक्त एंसीपी/एमएंसीपी का लाभ प्रदान किये जाने के निमित्त मविष में किसी हूए उनका वेतन निर्धारण संबंधी कारवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उपरोक्त प्रदत्त वित्तीय उच्ययन के फलस्वरूप सभी कर्मियों के वेतन का निर्धारण वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प में विहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) के आलोक में उक्त कर्मियों से वेतन निर्धारण का विकल्प आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अंदर लेते हूए उनका वेतन निर्धारण संबंधी कारवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त के कम संख्या.2,3,4,6 एवं 8 में आंकित कर्मियों को पूर्व में देय एंसीपी एवं एमएंसीपी की तिथि को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

10	श्रीमती राधा कुमारी, बहाक (स्तर-1)	12.01.1994/ 31.01.2054	18.04.2015/ 18.04.2018	दीया वि०	दि०-18.04.2025 से प्रथम एम.ए.सी.पी. वेतन स्तर-02 में
9	श्री सुबोध कुमार, कायालय परिचारी (स्तर-2)	10.03.1974/ 31.03.2034	07.10.2002/ 01.04.2007	दीया वि०	दि०-01.07.2024 से द्वितीय एम.ए.सी.पी. वेतन स्तर-03 में
8	श्री अनन्त कुमार, उच्चवर्गीय लिपिक (स्तर-4)	01.03.1986/ 31.03.2046	18.07.2005/ 01.08.2008	निदेशालय वि०, पटना	दि०-18.07.2025 से द्वितीय एम.ए.सी.पी. वेतन स्तर-05 में
7	श्री मुकेशवर कुमार, कायालय अधीक्षक (स्तर-7)	17.08.1975/ 31.08.2035	25.08.1997/ 01.04.2004	क्षेत्रांका वि० पदां, पटना	दि०-25.08.2009 से प्रथम ए.सी.पी. ग्रेड-पे-2800 एवं दि०. 25.08.2017 से द्वितीय एम.ए.सी.पी. वेतन स्तर-06 में
6	श्री नन्द किशोर कुमार, प्रधान लिपिक (स्तर-7)	09.02.1969/ 28.02.2029	04.01.1990/ 01.04.2004	वि० भागलपुर	दि०-04.01.2010 से ग्रेड-पे-2800 में, प्रथम ए.सी.पी. द्वितीय एम.ए.सी.पी. वेतन स्तर.06 में एवं दि०-04. 01.2020 से तृतीय एम.ए. सी.पी. वेतन स्तर-07 में

ज्ञाप संख्या-एसीस-01/नि०-117/2010 (अंश-II)- 01

पटना, दिनांक-01-01-2026

प्रतिलिपि- सभी संबंधित प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार एवं स्थापना शाखा, लेखा शाखा, निदेशालय चिकित्सा सेवायें को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संबंधित कर्मियों को अपने स्तर से सूचित करते हुये इसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में कर आवश्यक कार्रवाई की जाय। साथ ही किसी जिम्मेवार कर्मचारी को भेज कर संबंधित कर्मियों की सेवा पुस्तिका निदेशालय से यथाशीघ्र प्राप्त कर ली जाय।

अवर सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार।

ज्ञाप संख्या-एसीस-01/नि०-117/2010 (अंश-II)- 01

पटना, दिनांक-01-01-2026

प्रतिलिपि- आई० टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अवर सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार।